

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

सुखराम खोखर

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

52/2018/प्रा.पत्र/2019

01.08.2019

29.11.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री पवन कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी भगतसिंह कॉलोनी निवाड़ी जिला टोंक मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाड़ी जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाड़ी जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26
(2)की उप धारा (iv) (v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-


- 1-प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 29.11.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.04.2019 को समय 3.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाड़ी जिला टोंक पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री पवन कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी भगतसिंह कॉलोनी निवाड़ी जिला टोंक मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाड़ी जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र बाबत ऑल लाईन करना बताया है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर दुकान में प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 15 किलोग्राम लाल मिर्च पावडर (खुला)का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ. बी.ओ. श्री पवन कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्वय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता पवन कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



आवेदक द्वारा दुकान में रखे 15 किलोग्राम लाल मिर्च पावडर (खुला) में से 2 किलोग्राम वेईंग मशीन से तुलवाकर वारते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.वी.ओ. श्री पवन कुमार जैन को ₹0 240/-अक्षरे दौ सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा लाल मिर्च पावडर (खुला) 2 किलोग्राम के 4 भाग तैयार कर ज्यो का त्यो कर अलग-अलग चार साफ व सुखे प्लास्टिक के डिब्बो में प्रत्येक में 500-500 ग्राम भरकर प्लास्टिक के डिब्बो के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2159 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2159 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.वी.ओ. पवन कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1119 दिनांक 15.05.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1074/एक्ट/2019/721 दिनांक 03.05.2019 अनुसार पवन कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया लाल मिर्च पावडर (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्वधन) नं. 2.3.14.(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा, कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का लाल मिर्च पावडर (खुला) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस लाल मिर्च पावडर (खुला) का विक्रय कर रहा था वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया लाल मिर्च पावडर (खुला) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्वधन) नं. 2.3.14.(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री पवन कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी भगतसिंह कॉलोनी निवाड़ी जिला टोंक मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाड़ी जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.11.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



Naiv
(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक-राज0

